सत्यमेव जयते

वी.पी सिंह बदनौर
राज्यपाल पंजाब एवं
प्रशासक यू.टी. चण्डीगढ़

संदेश

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सेवा का अधिकार अधिनियम अब पूर्ण रूप से यू.टी. चण्डीगढ़ में लागू हो गया है। इसका मतलब है कि लोगों के पास सरकारी विभागों से मिलने वाली सार्वजनिक सेवाएँ निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त करने का अधिकार है, और यदि कोई सरकारी अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं करता/करती है, तो उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी चूक के लिए न केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

चण्डीगढ़ प्रशासन के 28 विभागों द्वारा प्रदान की जा रही कुल 486 सेवाओं को प्रशासन की अधिसूचना संख्या 28-67/1-IH(11)-2020/10872 दिनांक 08.10.2020 से अधिसूचित किया गया है, जिसमें सेवाएँ तथा नामित अधिकारियों का विवरण सम्मिलित है जो इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, तथा पहले और दूसरे स्तर पर अधिकार प्राप्त अपीलीय अधिकारी होंगे जिनके समक्ष नागरिक अपील दायर कर सकते हैं यदि दी गई सेवा समय–सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती है अथवा उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी है।

चण्डीगढ़ सेवा के अधिकार आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग पहले से ही सेवा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए गठित किया गया है। अधिनियम, नियम और उपर्युक्त अधिसूचना का पूरा विवरण आयोग की वेबसाइट **rtsc.chd.gov.in** पर देखा जा सकता है।

सेवा के अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की पूछताछ अथवा निर्धारित समय–सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए जनता, आयुक्त श्री के.के. जिन्दल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) से ईमेल/फोन कॉल अथवा व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित पते पर जाकर सम्पर्क कर सकती है :

चण्डीगढ़ राईट टू सर्विस कमिशन

नगर योजना भवन, सी–विंग, मध्य मार्ग
सैक्टर 18–ए, चण्डीगढ़ – 160018
फोन नं. 0172-5171500, 2700018
ईमेल: chd.rtsc@chd.nic.in वेबसाईट: rtsc.chd.gov.in

मैं इस सिटी ब्यूटीफुल के नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे अपने सेवा के अधिकार अधिनियम का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति का लाभ उठाएँ।

हस्ता/–

(वी.पी सिंह बदनौर)

Appeared on Amar Ujala Newspaper on 22-Oct-2020 and 25-Oct-2020

Appeared on Dainik Bhaskar Newspaper on 22-Oct-2020 and 25-Oct-2020

Appeared on Punjab Kesari Newspaper on 25-Oct-2020

Appeared on Dainik Jagran Newspaper on 25-Oct-2020